

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

फा.सं. 1/3/2013-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर, 2021

7 कार्तिक, 1943 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री शक्तिकांत दास, सेवानिवृत्त आईएएस (टीएन: 80) को 10 दिसम्बर, 2021 से आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के पद पर पुनर्नियुक्त करती है।



(समीर शुक्ला)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड

नई दिल्ली